बिहार विधान परिषद् 185 वॉ सत्र के लिए श्री सतीश कुमार, माननीय स.वि.प. से प्राप्त अल्प सूचित प्रश्न सं0–आई0 आर0–1 से उद्भूत आश्वासन सं0– 02/185 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	आश्वासन	उत्तर प्रतिवेदन
(क) क्या यह सही है कि बाल्मीकिनगर पश्चिमी चम्पारण से मेन केनाल निकाली है जो जिला पश्चिमी चम्पारण, पूर्वी चम्पारण होते हुए मुजफ्फरपुर जिला से हाजीपुर तक तिरहुत नहर प्रमंडल के अंतर्गत किसानों के सिंचाई हेतु नहरों एवं उप वितरणी की जाल फैला हुआ है, जबकि नहरों के निर्माण हेतु सैंकडों किसानों के जमीन को जल संसाधन विभाग द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया गया है:	स्वीकारात्मक।	वस्तुस्थिति यह है कि तिरहुत मुख्य नहर के कि0मी0 116.76 (383.00 आर.डी.) से जमुनिया शाखा नहर एवं इसके कि0मी0 28.96 (95.00 आर.डी.) से चैलहा उप वितरणी निःसृत है। चैलाहा उप वितरणी के कि०मी 9.01 (दायाँ) से निःसृत रतनपुन लघुनहर की कुल लम्बाई 3.17 कि०मी० है। बंजरिया प्रखण्ड के चंचल बाबा के मठ स्थित सड़क को पार कर मोतीझील को जलश्राव उपलब्ध करने वाली रतनपुर लघुनहर का पुनर्स्थापन कार्य हेतु विभागीय पत्रांक 136 दिनांक 16.01.2023 द्वारा मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, मौतिहारी को योजना प्रतिवेदन तैयार करने का निदेश दिया गया। मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, मोतिहारी के पत्रांक 825 दिनांक 05.04.2023 द्वारा रतनपुर लघु नहर के पुनर्स्थापन हेतु रू0 152.75 लाख का प्राक्कलन समर्पित किया गया तथा विभागीय पत्रांक 1688 दिनांक 01.06.2023 द्वारा प्राप्त प्राक्कलन नगर विकास एवं आवास विभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित किया गया। • परियोजना पदाधिकारी– सह–अपर निदेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा रतनपुर लघुनहर के पुनर्स्थापन कार्य का प्राक्कलन प्रबंध निदेशक, बुडको को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया है।
(ख) क्या यह सही है कि वर्ष 2008–2009 से वर्ष 2013–14 में नहरों के पुनर्स्थापन का कार्य पुरा किया गया। जिसकी सिंचाई पूर्वी चम्पारण के गायघाट मेज कैनाल से उप वितरणी निकलती है जो जैयसिंहपुर होते हुए बंजरिया प्रखंड के चंचल बाबा के मठ स्थित सड़क को क्रास कर मोतिहारी मोतिझिल में पानी की निकासी होती है:	वस्तुस्थिति यह है कि तिरहुत मुख्य नहर के 383.00 आर.डी. से जमुनिया शाखा नहर एवं इसके 95.00 आर.डी. से चैलहा उप वितरणी निःसृत है। चैलहा उप वितरणी के 29.50 आर.डी. से रतनपुर लघु नहर निःसृत है, जिसकी लम्बाई 10.5 आर.डी. है। रतनपुर लघु नहर के 8.5 आर.डी. पर बंजरिया प्रखंड के चंचल बाबा का मठ स्थित है, जहाँ पर नहर सड़क को क्रास करती है। वर्तमान में इस लघु नहर में अतिक्रमण की समस्या है। इस अतिक्रमण को स्थानीय जिला प्रशासन से सहयोग प्राप्त कर हटवाने हेतु मुख्य अभियन्ता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, मोतिहारी को विभागीय पत्रांक 47 दिनांक 16.01.2017 द्वारा निदेशित किया गया है।	

(ग) क्या यही है कि पूर्वी चम्पारण जिले में 537 आर.डी. तक नहरों कि लम्बाई है जो तिरहुत मेन कैनाल 537 आर.डी. से बेतिया होते हुए पहाडपुर एवं अरेराज तथा तुरकौलियासे चकिया तक पहुंचती है, लेकिन आश्चर्य कि बात है कि सरकार द्वारा जैसिंहपुर होते हुए बंजरिया प्रखंड के चंचल बाबा के मठ तक करोडो रू. के लागत से खुदाई होनेकेबाद आजतक एक बुंद पानी कि निकासी नहीं हुई एवं किसानों के खेतो कि सिंचाई भी नहीं हो सकी उक्त अधिकांश नहरे अतिक्रमण कर उसपर मकान का निर्माण एवं भरकर रास्ता का निर्माण अवैध ढंग से सिंचाई विभाग के पदाधिकारियों के मेलजोल से किया गया है:	वस्तुस्थिति यह है कि रतनुपर लघु नहर की लम्बाई 10.50 आर.डी. एवं इसका जलश्राव 33.05 क्यूसेक है। वर्ष 2013–14 में इस नहर से 5.00 आर.डी. तक जलश्राव प्रवाहित किया गया था। नहर के इर्द–गिर्द एवं इसके डाउन स्ट्रीम में गॉव एवं शहर विकसित हुआ है जिससे सिंचाई बाधित हुई है। अतिक्रमणकारियों की सूची कार्यपालक अभियंता, तिरहुत नहर प्रमंडल, मोतिहारी के पत्रांक 264 दिनांक 23.03.2015, पत्रांक 408 दिनांक 20.04.2016, पत्रांक 490 दिनांक 23.09.2016 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मोतिहारी एवं पत्रांक 478 दिनांक 18.05.2016 तथा पत्रांक 111 दिनांक 07.02.2017 द्वारा उप विकास आयुक्त, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचित किया गया, परन्तु अभी तक नहर की जमीन अतिक्रमण से मुक्त नहीं हो सका है।	रतनपुर लघुनहर की कुल लंबा 3.17 कि0मी0 में से 2.50 कि0मी तक नहर निर्मित है तथा नहर क शेष भाग के अतिक्रमण को मुक्त कराने हेतु कार्यपालक अभियंता तिरहुत नहर प्रमंडल, मोतिहारी क पत्रांक 1273 दिनांक 22.12.202 द्वारा अतिक्रमणकारियों की सूची जिलाधिकारी, पूर्वी चम्पारण मोतिहारी को समर्पित किया गया। वर्तमान में जिला प्रशासन के सहयोग से नहर की भूमि के अतिक्रमण को मुक्त करा लिया गय है। मोतीझील जलाशय की सफाई जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण के लिए श्री कुमार अमित के द्वारा जनहित याचिका CWJC सं०– 3876/202 दायर की गयी है। मोतीझील के सफाई, जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण योजना के अंतर्गत रतनपुर लघुनहर का पुनर्स्थापन कार्य सम्मिलित है जिसका क्रियान्वयन नगर विकास एव आवास विभाग के द्वारा किया ज रहा है। अतः जल संसाधन विभाग से कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।
(घ) यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो उक्त स्थान पर नहरों में पानी देने किसानों को सिंचाई कि व्यवस्था करने तथा नहरों पर मकान एवं मिट्टी भरकर रास्ता बनाने वालो तथा मिलिभगत कर पदाधिकारियों पर सरकार कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?	विभागीय पत्रांक 223 दिनांक 01.03.2017 द्वारा जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को कार्यपालक अभियंता, तिरहुत नहर प्रमंडल, मोतिहारी द्वारा समर्पित अतिक्रमणकारियों की सूची के आलोक में अतिक्रमण हटवाने का अनुरोध किया गया है। नहर के अतिक्रमित भूमि को मुक्त कराने के पश्चात् नहर का जीर्णोधार कर तथा उसमें जलश्राव प्रवाहित कर किसानों को सिंचाई की व्यवस्था करने का कार्यक्रम है।	

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक–25 / वि0प0आ0(मो0)–12–10 / 2024– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– उप सचिव, बिहार विधान परिषद् सचिवालय, बिहार, पटना को 185वें सत्र में उनके ज्ञापांक–216(6) दिनांक–12.02.2018 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न सं0–आई0आर0–01 से उदभूत आश्वासन सं0–02 / 185 का उत्तर प्रतिवेदन (पाँच प्रति) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनुप रंजन पाण्डेय)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0प0आ0(मो0)–12–10 / 2024– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि– उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनुप रंजन पाण्डेय)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0प0आ0(मो0)–12–10 / 2024– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि– अवर सचिव, प्रशाखा–17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनुप रंजन पाण्डेय)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0प0आ0(मो0)–12–10 / 2024– ५५३८ पटना, दिनांक– 06/10/2026
प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

06.10.26
(अनुप रंजन पाण्डेय)
सरकार के अवर सचिव
06.10.26